

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001112012

दांडिक प्रकरण क.-363 / 12

संस्थापित दिनांक-06.09.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-जयराम पुत्र गरीबा अहिरवार उम्र 25 साल 02-मुंशी <u>फौत</u> पुत्र गरीबा अहिरवार उम्र 32 साल 03-सरदार पुत्र गरीबा अहिरवार उम्र 27 साल 04-मेहरबान सिंह पुत्र परसादी लोधी उम्र 55 साल निवासीगण ग्राम गोराकला। <div>.....आरोपीगण</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री परमार अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.08.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 336, 323, 506बी, 325, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 341, 325/34, 323/34, 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 336/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कलुआ ने दिनांक 10.07.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक की रात्रि में करीब 9 बजे बीड़ी लेने घर से निकला जैसे ही वह गजराज लोधी के घर के सामने पहुंचा तो आरोपीगण ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि अपनी जमीन की रजिस्ट्री उनके पिता के नाम कर दो और जब उसने ऐसा करने से मना किया तो आरोपीगण ने उसकी लाठी एवं लात-घूसों से मारपीट की जिससे उसे शरीर में जगह-जगह चोट आई। वह चिल्लाया तो उसका लडका शीतल आ गया। आरोपीगण ने मेहरबान को भी बुला लिया, मेहरबान ने शीतल की डंडों से मारपीट की जिससे उसे चोटें आईं और अन्य आरोपीगण ने भी मारपीट की। मौके पर श्यामलाल व उसकी पत्नी आ गए जिन्होंने घटना देखी। आरोपीगण जाते हुए कह रहे थे कि आज तो बच गए, आइंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 240/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 336, 323, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 325/34, 323/34, 506बी एवं 336/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं.

के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी सरदार ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में शीतल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से पत्थर मारकर उसकी व्यक्ति क्षेम संकटापन्न किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कलुआ, अ.सा. 02 शीतल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 कलुआ ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से रजिस्ट्री की बात पर से कहासुनी एवं झगडा हो गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 उसने लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने पत्थर से उसे एवं शीतल को मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ. सा. 02 शीतल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से रजिस्ट्री की बात पर से कहासुनी एवं झगडा हुआ था। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने पत्थर फेंककर मारा था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा उक्त घटना दिनांक को फरियादी को पत्थर से मारकर उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 336/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा बांस के तीन डंडे मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)